मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2006 (आषाढ़ 29, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-5-7-2006-1-पांच (18), दिनांक 31 मार्च, 2006 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष (2004-2005) तथा आयोग के वर्ष 2004-2005 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, धार जिले के ग्राम भरड़पुर में आदिवासी कृषकों की जमीन को अतिशेष घोषित किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में रेत का अवैध उत्खनन होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4 याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ओरछा स्थित स्मारकों के जीर्णोद्धार किये गये कार्यों की जांच कराये जाने,
(ख) ओरछा में पर्यटक पुलिस तैनात किये जाने,
(ग) निवाड़ी तिगेला के आगे नाले पर पुलिया बनाये जाने, तथा
(घ) ओरछा के पास बेतवा नदी पर फिल्टर प्लांट लगाये जाने,

(2) श्री हरीवल्लभ शुक्ला, सदस्य, शिवपुरी जिले के -

(क) पोहरी नगर के सकुला नदी पर स्टाम डेम बनाये जाने,
(ख) ग्राम छर्च में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने,
(ग) ग्राम फुलीपुरा में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने,
(घ) ग्राम ऐंचवाड़ा में हाई स्कूल खोले जाने, तथा
(ङ) ग्राम कुंअरपुर से खद बेरजा खौदा तक सड़क बनाये जाने,

(3) श्री नानाभाऊ मोहोड़, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम पीपलिया मीरा से बमूलिया तक सड़क बनाये जाने,

(4) श्री हमीद काजी, सदस्य, बुरहानपुर जिले में -

(क) होम्योपैथी चिकित्सालय बुरहानपुर का नवीन भवन बनाये जाने,

(ख) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का जिला कार्यालय खोले जाने,

(ग) आर.टी.ओ. कार्यालय खोले जाने,

(घ) ग्राम लौनी के पास भोलाना डेम का निर्माण कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम लालबाग स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(5) श्री सुदामा सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले के -

(क) ग्राम अमगवां से बेंकटनगर तक सड़क बनाये जाने, तथा

(ख) ग्राम बम्हनी से पीपरटोला तक सड़क बनाये जाने,

(6) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) ग्राम हांसई से मेवदा तक सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम देवरी में खरंजा लगाये जाने, तथा

(ग) ग्राम गडौरा से देवस्थान तक सड़क बनाये जाने,

(7) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, भोपाल शहर के अरेरा कालोनी स्थित मकानों का लीज रेंट कम किये जाने,

के संबंध में याचिकाऐं प्रस्तुत करेंगे.

5. कृषि मंत्री का वक्तव्य

चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री, 28 जून, 2004 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्रमांक 903) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामपाल सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में वन एवं राजस्व भूमि पर वर्षों से काबिजों को बेदखल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, सुखदेव पांसे, डॉ. गोविन्द सिंह, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. सुनीलम्, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

8. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

45 मि.

प्रदेश की अशासकीय शिक्षण शालाओं में अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर शिक्षा का अवैध शुल्क वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 जुलाई, 2006